न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, देसूरी जिला–पाली

पीठासीन अधिकारी– श्रीमती राजलक्ष्मी गहलोत (R.A.S.)
राजस्व विविध संख्या – 31/2018
तारीख निर्णय – 22.2.2021

प्रार्थीगण :–

1. ओटाराम पुत्र केसाजी आयु– 45 वर्ष जाति–मेघवाल
2. मीरादेवी पत्नी ओटाराम उम्र– 38 वर्ष जाति –मेघवाल
3. रूपराम पुत्र नथाराम उम्र– 35 वर्ष जाति – सरगरा
4. पोमाराम पुत्र रूपारामजी उम्र– 40 वर्ष जाति –मेघवाल
   निवासीगण– छोडा तहसील–देसूरी जिला पाली

–: विरूद्ध :–

अप्रार्थीगण :–

1. रम्बादेवी पत्नी वेलारामजी आयु–वयस्क
2. वेलाराम पुत्र मगाजी आयु–वयस्क
   जातिगण– बावरी, निवासीगण–प्रतापगढ झुपा, सादडी हाल – सिन्दरली रोड सादडी तहसील–देसूरी जिला–पाली

(वाद अन्तर्गत धारा 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955)
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 151 सी0पी0सी0

उपस्थिति–
1– प्रार्थीगण की ओर से – वकील दिनेश कुमार माली।

–: निर्णय :– **दिनांक– 22.02.2021**

प्रकरण हाजा के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–212 राज.काश्त. अधिनियम, 1955 की सपठित 151 सीपीसी के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा ग्राम छोडा पटवार हल्का छोडा तहसील देसूरी जिला पाली के खसरा नम्बर 247 रकबा 0.2400 हेक्टर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 247/1 रकबा 0.2400 हेक्टर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 247/2 रकबा 0.2400 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 247/3 रकबा 0.2300 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल, कुल क्षैत्रफल 0.9500 हैक्टर भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी का कब्जा काश्तसुदा कृषि भूमि विद्यमान है।

यह है कि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की उक्त कृषि भूमि के चारों तरफ तारबन्दी की हुई है तथा लोहे की जाली लगी हुई है। उक्त … संलग्न नजरी नक्शा के अनुसार पूर्ण कब्जा काश्त मे स्थित है। प्रमाण स्वरूप नजरी नक्शा (गूगल मेप) में मार्क A B C D E F G H I J के मध्य भाग में दर्शित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.13 18:42:22 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

यह है प्रार्थीगण के द्वारा उक्त कृषि भूमि खरीद करने से लेकर वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीगण का सुस्थापित कब्जा काश्त विद्यमान है। उक्त वादग्रस्त आराजी के चारों तरफ तारबंदी की हुई है। जो एक चक में प्रार्थीगण द्वारा खरीद की गई थी। जो कि प्रथम दृष्टया पेश किये गये गुगुल मेप से भी स्पष्ट है। प्रार्थीगण के खातेदारी हक अधिकार व कब्जा काश्त की कृषि भूमि में अप्रार्थीगण का कोई हक अधिकार नहीं है, फिर भी अप्रार्थीगण कानून हाथ में लेकर लाठी, लकडी के बल पर व्यक्तिगत एवं अपने भाडे के प्रतिनिधियों के बल पर अवैध तरीके अपना करजोर जोबरदस्ती प्रार्थीगण के कब्जा काश्त वादग्रस्त कृषि भूमि पर अवैध अनाधिकृत रूप से अतिकमण करने को आमादा है। इसी के चलत अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 13.06.2018 को अपने भाडे के प्रतिनिधियों को भेजकर गैर कानूनी रूप से प्रार्थीगण की कब्जा काश्त कृषि भूमि पर प्रार्थीगण द्वारा लगाई गई तारबन्दी एवं जाली तथा पीलर हटाकर अनाधिकृत रूप से ट्रेक्टर लेकर प्रेवश किया। प्रार्थी द्वारा मना किये जाने पर भी अप्रार्थीगण के प्रतिनिधि नहीं रूके तब प्रार्थी ओटाराम द्वारा पुलिस को सूचित किया मौके पर पुलिस ने अप्रार्थीगण के अवैध रूप से भेजे गये प्रतिनिधियों को ट्रेक्टर सहित गिरफ्तार किया जिसे दिनांक 14.06.2018 को माननीय न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया।

यह है कि अप्रार्थीगण द्वारा अब भी प्रार्थीगण को ऐलानिया, धमकिया दी जा रही है कि वह जब चाहे जहां चाहे कब्जा कर सकता है। अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य पूर्णतया गैर कूननी है विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों का पूर्णतया विपरित है जिससे प्रार्थीगण के जायज हितो एवं अधिकारों की सुरक्षा किया जाना निहायती जरूरी एवं न्याय संगत है।

प्रार्थीगण द्वारा वाद पत्र बाबत निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया है जो विचाराधीन होने से सुनवाई में समय लगने की संभावना होने से वाद के विचारण के दौरान वादग्रस्त आराजी की अप्रार्थीगण एव उनके प्रतिनिधियों से सुरक्षार्थ हेतु प्रार्थीगण की ओरसे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट विरूद्ध अप्रार्थीगण प्रस्तुत है।

यह है कि अप्रार्थीगण आदतन अपराधी है, जो सीधे सादे व्यक्तियों की भूमि पर अवैध कब्जा करना इत्यादी अप्रार्थीगण की आदत में शुमार है। अप्रार्थीगण कभी कुछ भी कर सकते है इसलिए उन्हे निषेधाज्ञा द्वारा रोका जाना नितान्त आवश्यक है, अप्रार्थीगण को उक्त अवैध कृत्यों से नहीं रोका जाता है तो प्रार्थीगण को वादग्रस्त कृषि भूमि से वंचित होना पडेगा उनके जायज हितो एवं अधिकारों के साथ कुठाराघात होगा जो कभी भी न्याय संगत नहीं होगा। तथा अप्रार्थीगण अपने अवैध कृत्यों में कामयाब हो जाता है तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन रूपये पैसे से नही हो सकेगा। इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का संतुलन और अपूरणीय क्षति भी प्रार्थीगण के पक्ष में और अप्रार्थीगण के विरूद्ध है।

Signature Not Verified
Digitally Signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.13 18:42:22 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किये है कि प्रार्थीगण का यह अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं वाद के निर्णय तक अप्रार्थीगण के

पेज नम्बर 3 पर लगातार

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

विरूद्ध इस अमर की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि मौजा ग्राम छोडा के खसरा संख्या 247, 247/1, 247/2 एवं 247/3 की वादग्रस्त कृषि भूमि में अप्रार्थीगण स्वयं एवं अपने कोई प्रतिनिधि नौकर, रिश्तेदार एवं ऐजेन्ट के मार्फत या किसी अन्य व्यक्ति के मार्फत गैर कानूनी ढंग से अवैध तरीके से जोर जबरदस्ती प्रवेश नहीं करे ओर ना ही तारबन्दी, जाली एवं सिमेन्ट के पिलर तोडे अथवा हटाये, ना ही प्रार्थीगण को संलग्न नजरी नक्शा में वर्णित मार्क कृषि भूमि में दखलन्दाजी उत्पन्न करे ना ही करावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण के नोटिस तलब किया गया। बाद तलबी के अप्रार्थीगण की ओर से वकील छगनलाल गहलोत द्वारा अण्डर टेकिंग ली गई। अप्रार्थीगण संख्या 01 व 2 की ओर से वकील छगनलाल गहलोत द्वारा पेशी दिनांक 20.10.2020 पर वकालत नामा पेश नहीं किया गया एवं अप्रार्थी संख्या 01 व 02 अनुपस्थित रहने से एक्स पाटी किया जाकर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

पत्रावली में वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया एवं इस पत्रावली व मूल वाद–पत्र की पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।

इस प्रार्थना पत्र मे निस्तारण हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा दिये जाने बाबत निम्न तीन बिन्दुओं पर विचारण किया गया।

प्रथम दृष्टया मामला :– प्रथम दृष्टया मामला पर न्यायालय द्वारा विचार किया गया। जिसमें वकील प्रार्थीगण का तर्क है कि मौजा ग्राम छोडा जिला पाली (राज.) के खसरा नम्बर 247, 247/1, 247/2, 247/3 कुल रकबा 0.9500 हैक्टर की कृषि भूमि प्रार्थीगण के कब्जा काश्त एवं खातेदारी हक अधिकार की विद्यमान है। जिस बाबत पत्रावली का अवलोकन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज जमाबन्दी संवत् 2073–2076 से प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि होना प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है। उपरोक्त तथ्यों से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।

सुविधा का संतुलन :– अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने बाबत सुविधा का संतुलन बिन्दु पर विचार किया गया। प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा बहस मे कथन किया गया कि अप्रार्थीगण द्वारा बिना किसी हक अधिकार के जोर जबरदस्ती एवं बल पूर्वक अवैध तरीकों से प्रार्थीगण की कृषि भूमि पर लगी हुई तारबन्दी, जाली एवं पिलरों को तोडकर अवैध रूप से प्रवेश कर अतिक्रमण करने पर आमादा है। जिसका कोई विधिक अधिकार अप्रार्थीगण को नहीं है। अतः प्रार्थीगण को ज्यादा असुविधा होगी व विवाद बढने की पूर्ण संभावना रहेगी जिससे पृथम दृष्टया सुविधा का संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।

अपूरणीय क्षति :– अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर न्यायालय द्वारा विचार किया गया। अस्थाई निषेधाज्ञा ओदश विरूद्ध अप्रार्थीगण [illegible] है तो प्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा नम्बर 247, 247/1, 247/2 एवं 247/[illegible]र 3 [illegible]र्थीगण द्वारा जोर जबरदस्ती

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.13 18:42:22 IST
Reason: SelfAttested

पेज नम्बर 4 पर लगातार

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

अवैध रूप से बल पूर्वक अतिक्रमण एवं काश्त को नुकसान किया जायेगा जिससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षति पूर्ति का मूल्याकंन रूपयो पैसो से नहीं की जा सकेगी।

अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने बाबत तीनों बिन्दु प्रार्थीगण पक्ष में साबित होने से न्यायालय की राय में प्रार्थीगण का यह अस्थाई व्यादेश का प्रार्थना पत्र पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता है। अतएवं

–: आदेश :–

प्रार्थीगण का यह अस्थायी व्यादेश का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा ग्राम छोडा के खसरा नम्बर खसरा नम्बर 247, 247/1, 247/2 एवं 247/3 कुल रकबा 0.9500 हैक्टर की खातेदारी कृषि भूमि का मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण स्वयं या अप्रार्थीगण अपने कोई प्रतिनिधि नौकर, रिश्तेदार एवं ऐजेन्ट के मार्फत या किसी अन्य व्यक्ति के मार्फत गैर कानूनी ढंग से अवैध तरीके से जोर जबरदस्ती प्रवेश नहीं करे ओर ना ही तारबन्दी, जाली एवं सिमेन्ट के पिलर तोडे अथवा हटाये और ना ही प्रार्थीगण को संलग्न नजरी नक्शा में वर्णित मार्क कृषि भूमि में दखलन्दाजी उत्पन्न करे ना ही करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(राजलक्ष्मी गहलोत)
सहायक कलक्टर
देसूरी

निर्णय आज दिनांक 22.02.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
देसूरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.13 18:42:22 IST
Reason: SelfAttested